## मीडिया समन्वयक कार्यालय

## जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति 05 फरवरी 2018

# भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जेएमआई में नलसार विश्वविद्यालय के वीसी का लेक्चर

जामिया मिल्लिया इस्लामिया :जेएमआईः में आज नलसार विधि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो फ़ैज़ान मुस्तफा ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण के रूप में नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्वयं संविधान में उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

जेएमआई के विधि विभाग द्वारा '' भारत में अल्पसंख्यकों के संवैधिनिक आधिकार '' विषय पर आयोजित एक व्याख्यान में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत में अल्पंसख्यकों के अधिकार कोई अपवाद नहीं हैं बल्कि ये संविधान के गारंटीशुदा मुख्य धारा के अधिकार हैं। ये अधिकार सेकुलर व्यवहार पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि ये अपने आप में स्वतंत्र अधिकार हैं जो लोकतंत्र और बराबरी के अधिकार पर आधारित हैं।

प्रो मुस्तफा ने कहा कि अन्य मौलिक अधिकारों पर कुछ बाधाएं और शर्ते हैं लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ऐसा कुछ नहीं है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे कुछ संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जों को लेकर इन दिनों चल रही बहस के संदर्भ में उन्होंने कहा ये विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत आते हैं और सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक मदद दिए जाने भर से उनके इस दर्जे पर कोई आंच नहीं आती। ऐसा इसलिए है कि ये विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक समुदाय की पहल पर स्थापित किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान खोले जाने की पहल अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से ही होनी चाहिए।

अपने अध्यक्षीय भाषण में जेएमआई के वाइस चांसलर प्रो तलत अहमद ने कहा कि जामिया के लोगों को प्रो मुस्तफा से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बौद्धिक ज्ञान से अपने ज्ञान को समृद्ध करना चाहिए।

विधि विभाग की डीन प्रो नुज़हत परवीन ने अपने स्वागत भाषण में छात्रों से कहा कि वे अपने ज्ञान को तर्को पर परखने की महारत हासिल करें।

**प्रो साइमा सईद**
**मीडिया कोऑर्डनैटर**